ग्राम पंचायत भलवानी, विकास खण्ड भोरंज, जिला हमीरपुर हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि: 01.04.2015 से 31.03.2018

भाग- एक

1 प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत भलवानी, विकास खण्ड भोरंज, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.2015 से 31.03.2018 तक के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया I

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत भलवानी, विकास खण्ड भोरंज में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे:

प्रधान:

क्र० सं	नाम	अवधि
1	श्रीमति फूलां देवी	01-04-15 से 22-01-16 तक
2	श्री संजीव कुमार	23-01-16 से 31.03.18 तक

सचिव:

क्र० सं	नाम	अवधि
1	श्रीमति व्यासां देवी	01.04.2015 से 22-01-17
2	श्री हेम राज	23-01-17 से 31.03.18 तक

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:

ग्राम पंचायत भलवानी, विकास खण्ड भोरंज, जिला हमीरपुर के लेखाओं अवधि 01.04.15 से 31.03.18 तक के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)

1	5.3	तीन बैंक खातों में जमा राशि के लेखांकन के समर्थन में रोकड़ बही/संबन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करना	1.38
2	7	अनुदान का उपयोग न करना।	33.18
3	8	पंचायत राजस्व की वसूली हेतु शेष राशि।	0.88
4	8.1	गृहकर की वसूली हेतु प्रयोग की गई रसीदों के अनुसार पंचायत निधि में वसूली गई राशि से अपेक्षाकृत कम राशि जमा करवाना	0.05
5	9	संकर्मों के संबंध में माप पुस्तिकाएँ प्रस्तुत न करना	4.06
6	10	क्रय की गई सामग्री का भण्डार रजिस्टरों में इन्द्राज न करना	1.93
7	11	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	1.16
8	11.1	निर्माण सामग्री के क्रय हेतु अनुमोदित दर से अधिक दर पर भुगतान के कारण अधिक भुगतान	0.02
9	11.2	निर्माण सामग्री के क्रय हेतु वैट के रूप में अनुचित भुगतान	0.01
10	12	जांच हेतु बिल/ वाउचरों को उपलब्ध न करवाना	0.52

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत भलवानी, विकास खण्ड भोरंज, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.15 से 31.03.18 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री श्रीराम सुनील, अनुभाग अधिकारी तथा श्री विद्यासागर, लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 22-09-2018 से 26-09-2018 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

अवधि	आय	व्यय
2015-16	03/2016	09/2015
2016-17	04/2016	07/2016
2017-18	03/2018	01/2018

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है I उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत भलवानी, विकास खण्ड भोरंज, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.15 से 31.03.18 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7,200 आँका गया । उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से "निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-171009" को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या:FIN/LAD/HMR/2018-84 दिनांक 26/09/2018 के अन्तर्गत अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में पंचायत द्वारा अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को के०सी०सी०बैंक जाहू के माँग ड्राफ्ट संख्या:264256 दिनांक 26-09-2018 के अन्तर्गत निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-171009 को प्रेषित कर दिया गया I

4 वितीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत भलवानी, विकास खण्ड भोरंज, जिला हमीरपुर द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/15 से 31/03/18 के लेखाओं की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी: -

(i) स्वस्त्रौत:

ग्राम पंचायत भलवानी, विकास खण्ड भोरंज, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/15 से 31/03/18 तक की स्व स्त्रौतों की वित्तीय स्थिति का विवरण: -

वर्ष	अथशेष ₹	प्राप्ति ₹	योग ₹	व्यय ₹	अन्तिम शेष ₹
2015-16	54143.00	117896.00	172039.00	14810.00	157229.00
2016-17	157229.00	37649.00	194878.00	68065.00	126813.00
2017-18	126813.00	20083.00	146896.00	25902.00	120994.00

(ii) अनुदान:

ग्राम पंचायत भलवानी, विकास खण्ड भोरंज, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/15 से 31/03/18 तक के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1** में भी दिया गया है:-

वर्ष	अथ शेष ₹	प्राप्ति ₹	योग ₹	व्यय ₹	अन्तिम शेष ₹

2015-16	647774.60	2374845.00	3022619.60	1995350.70	1027268.90
2016-17	1027268.90	2519209.00	3546477.90	1250886.25	2295591.65
2017-18	2295591.65	2425488.00	4721079.65	1403121.35	3317958.30

(iii) दिनांक 31.03.2018 को ग्राम पंचायत भलवानी, विकास खण्ड भोरंज के बैंक खातों में अन्तिम शेषों का विवरण:

क्रम संख्या	बैंक	शीर्ष	बैंक खाता संख्या:	राशि ₹
1	KCCB JAHU	GCB- A	20025021262	120806.00
2	KCCB JAHU	GCB-B	20025061830	233752.00
3	PNB JAHU	14th FC	2222000109040341	3079913.15
4	PNB JAHU	IAY/ RAY	2222000109127297	4293.15
	TOTAL BALANCE			**3438764.30**
	CASH IN HAND			188.00
	G.TOTAL			**3438952.30**

5 बैंक समाधान विवरणी:

स्व: स्त्रोत: दिनांक **31-03-2018** को पंचायत की वित्तीय स्थिति अनुसार खाता 'क' का अंतिम शेष	120994.00
अनुदान: दिनांक **31-03-2018** को पंचायत की वित्तीय स्थिति अनुसार खाता 'ख' का अंतिम शेष	3317958.30
दिनांक **31-03-2018** को पंचायत की वित्तीय स्थिति अनुसार खाता **'क' व 'ख' का कुल अंतिम शेष**	**3438952.3**
दिनांक **31-03-2018** को पंचायत के बैंक खातों /पैरा 4(3) के अनुसार खाता 'क' व 'ख' का कुल अंतिम शेष	**3438764.30**
दिनांक 31-03-2018 को हस्तगत शेष	188.00
दिनांक 31-03-2018 को हस्तगत शेष सहित कुल बैंक शेष	**3458952.3**
अंतर की राशि	**00**

5.1 रोकड़ बही को नियमानुसार तैयार न करना: -

हि० प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 7 के अनुसार रोकड़ बही में प्रविष्टियाँ संव्यवहार की तारीख पर आय और व्यय की प्रत्येक मद के साथ-2 की जाएंगी। जांच के दौरान पाया गया कि रोकड़ बही में प्रविष्टियाँ वास्तविक व्यवहार की तिथि को न करके भुगतान की गई राशि की प्रविष्टि संबन्धित बैंक पास बुक में प्रविष्टि की तिथि को की गईं थीं, जोकि नियमानुकूल/लेखांकन सिद्धांतों के अनुकूल न होने के कारण आपतिजनक है। उदाहरण स्वरूपः- **परिशिष्ट"2"** में दर्शाये गए विवरनानुसार NBA के अन्तर्गत शौचालय बनाने हेतु विभिन्न लाभार्थियों को चैक दिनांक 08-09-15 को जारी किए गए थे परंतु उनसे संबन्धित प्रविष्टियाँ रोकड़ बही में दिनांक 08-09-15 को न करके दिनांक 09-09-15 से लेकर 18-09-15 तक संबन्धित बैंक पास बुक में प्रविष्टियों की तिथियों के अनुसार की गईं थीं। जोकि लेखांकन सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है।

इसके अतिरिक्त पंचायत द्वारा संधारित अभिलेख व रजिस्टरों में कुछ ओवर राइटिंग की गई थी, जबकि उक्त नियम प्रावधानानुसार अधिलेखन और मिटाना सर्वथा निषिद्ध था। नियमानुसार प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या और तारीख लिखी जानी अपेक्षित थी जिसके अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा वह व्यय प्राधिकृत किया गया था। जबकि ग्राम पंचायत द्वारा इन नियम प्रावधानों की अनुपालना नहीं की गई थी। इस प्रकार रोकड़ बहियों का संधारण नियमानुसार नहीं किया गया था। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :85 दिनांक 26-09-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्तिथि स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके सन्दर्भ में सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा पत्र क्रमांक 30 दिनांक 04-10-2018 के अन्तर्गत उत्तर दिया कि "ओवर राइटिंग के संबंध में वर्णित प्रावधानों के अनुसार अनुपालना कर व प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व तारीख डालकर आगामी अंकेक्षण के समय अवगत करवा दिया जाएगा।" अत: रोकड़ बहियों को नियमानुसार न बनाने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इनका निर्माण तुरंत प्रभाव से हि० प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 6 व 7 के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5.2 नियम के अनुसार पंचायत निधि के लेखे खाते तैयार न करना :-

पंचायत के लेखों की जांच में पाया कि पंचायत में लेखों का रख-रखाव हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (2) सहपठित नियम 4 के अनुसार खाता -क एवं खाता -ख के रूप में नहीं रखा गया है। अतः नियमों के अनुसार लेखों का रख-रखाव न रखने का औचित्य स्पष्ट करें एवं भविष्य में नियमों के अनुसार लेखे खाते तैयार कर नियम 3 व नियम 4 में वर्णित शीर्षों के अनुसार पंचायत में प्राप्त स्व: स्त्रोत आय को खाता-क व अनुदानों को खाता-ख में जमा करना सुनिश्चित करें।

5.3 तीन बैंक खातों में जमा ₹1.38 लाख के लेखांकन के समर्थन में रोकड़ बही/संबन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करना:-

अंकेक्षण के दौरान ध्यान में आया कि संस्था के नाम से निम्न विवरणानुसार तीन बैंक पास बुक्स थीं जिन में कुल ₹1,37,744 जमा थी। इन पास बुक्स से संबंधित राशियों के लेखांकन हेतु रोकड़ बही नहीं बनाई गई थी तथा यह खाते किस निधि से संबंधित है व खाते से संबंधित कोई अन्य जानकारी भी उपलब्ध नहीं करवाई गई जिस के कारण इन खातों में प्राप्त आय तथा इन खातों से किए गए व्यय की जांच नहीं की जा सकी। जोकि गंभीर आपत्तिजनक है जिसका औचित्य हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 के अन्तर्गत स्पष्ट किया जाए तथा अब जांच करके वस्तु स्थिति से अवगत करवाया जाए और रोकड़बही का निर्माण नियमानुसार किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को सूचित किया जाए। इस खाते से संबन्धित रोकड़ बही व संबन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाए।

Sr. No.	Bank	Account No	Head	Amount
1	UCO Bank Bhoranj	10410100011376	Not Known	72956 as on 4/1/18
2	KCCB Tarkwari	20025054992	Not Known	11945 as on 31/7/14
3	KCCB Tarkwari	20025056161	Not Known	52843 as on 17/7/14
			Total	**₹137744**

6 निवेश:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियो में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है कि इन पर अधिकतम लाभ कमाया जा सके। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई है तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों में अधिक मात्रा में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है। इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7 अनुदान ₹33.18 लाख का उपयोग न करना:-

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट-1)** के अनुसार दिनांक 31-03-18 तक अनुदान ₹33,17,958 उपयोग हेतु शेष थी । ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के

कारण धन का अवरोधन होने के साथ- साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :85 दिनांक 26-09-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके सन्दर्भ में सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा पत्र क्रमांक 30 दिनांक 04-10-2018 के अन्तर्गत उत्तर दिया कि "पंचायत की वित्तीय स्थिति अनुसार ₹33,17,958 को व्यय कर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवा दिया जाएगा।" अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा इस राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये।

8 पंचायत राजस्व ₹0.88 लाख वसूली हेतु शेष:-

पंचायत की स्व: स्त्रौतों से प्राप्त आय से संबन्धित उपलब्ध अभिलेख/अंकेक्षण के दौरान प्रदान की गई सूचनाओं के आधार पर निम्न विवरणानुसार दिनांक 31/03/18 को गृह कर एवं मोबाइल टावर शुल्क के रूप में वसूली हेतु ₹88,000/-(₹85,500 + ₹2,500) शेष थी जोकि आपत्तिजनक है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :85 दिनांक 26-09-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट / अपना पक्ष रखने बारे कहा गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा पत्र क्रमांक 30 दिनांक 04-10-2018 के अन्तर्गत उत्तर दिया कि "पंचायत के राजस्व की वसूली करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवा दिया जाएगा।" अतः राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर करनी सुनिश्चित की जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में भी पंचायत राजस्व की वसूली समय-2 पर करना सुनिश्चित किया जाए ।

(1) गृह कर

वर्ष	अथशेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतु शेष राशि (₹)
2015-16	23550	42000	65550	48300	17250
2016-17	17250	42500	59750	17250	42500
2017-18	42500	43000	85500	0	85500

(2) मोबाइल टावर शुल्क:

वर्ष	अथशेष (₹)	मांग (₹)	योग(₹)	प्राप्ति(₹)	वसूली हेतु शेष राशि (₹)
2015-16	2500.00	2500.00	5000.00	5000.00	0.00

2016-17	0.00	2500.00	2500.00	2500.00	0.00
2017-18	0.00	2500.00	2500.00	0.00	2500.00

टावरों की संख्या : - 01

8.1 गृहकर की वसूली हेतु प्रयोग की गई रसीदों के अनुसार पंचायत निधि में ₹0.05 लाख की अपेक्षाकृत कम राशि जमा करवाना

अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार गृहकर की वसूली हेतु प्रयोग की गयी रसीद बुकों के अनुसार वसूली गई की राशी से ₹4,746 की राशि कम जमा हुई थी और न ही इनकी प्रविष्टि संबंधित कैशबुक में की गई थी जो की आपतिजनक मामला है। अंकेक्षण के द्वारा आपति उठाने पर इस राशि को वसूल करके रसीद संख्या 270652/126 दिनांक 25/09/2018 के द्वारा निधि में जमा करवा दिया गया जिस की सत्यापना अंकेक्षण के द्वारा स्थल पर कैशबुक पृष्ठ संख्या 53 में कर दी गई। भविष्य में इस प्रकार की चूक व भूल को रोकने हेतु कारगर पग उठाए जाए।

रसीद बुक	रसीद संख्या	दिनांक	वसूलीं गई राशी	जमा की गई राशी	कम जमा की गई राशी
109	259701 से 259784	23-3-16	8400	8350	50
109	259785	4-4-16	200	0	200
112	260069 से 260100	4-4-16	3200	3100	100
117	260557	31-3-16	100	0	100
117	260558 से 260571	2-4-16	1400	1300	100
124	270715 से 271721	9-6-16	190	0	190
124	270725 से 270731	16-7-16	314	0	314
124	270733 से 270736	30-7-16	262	0	262
124	270739	12-9-16	82	0	82
124	270745	23-11-16	30	0	30
124	260572 से 260600	5-4-16	2900	0	2900
119	260732	23-4-15	138	0	138
119	260784	16-7-15	280	0	280
				कुल योग	**₹4746**

8.2 विवाह पंजीकरण शुल्क ₹0.675 लाख की कम वसूली:-

सयुंक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या: PCH-HA(1) 8/2013-Marriage 8017-8106 दिनांक 28.10.16 के अन्तर्गत विवाह के 30 दिन के भीतर पंजीकरण हेतु विवाह पंजीकरण शुल्क ₹200 (बी.पी.एल.परिवार ₹25) एवं 30 दिन के उपरान्त व 90 दिन के भीतर विवाह पंजीकरण शुल्क ₹400 (बी.पी.एल.परिवार ₹50) प्रति विवाह की दर से वसूल की जानी अपेक्षित है। अंकेक्षण में पाया कि पंचायत ने चयनित मास 06/2017 तक निम्न विवरणानुसार ₹675 पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूल नहीं किए गए थे जोकि आपत्तिजनक है। अंकेक्षण के द्वारा आपति उठाने पर इस राशि को वसूल करके रसीद संख्या 270652/126 दिनांक 25/09/2018 के द्वारा निधि में जमा करवा दिया गया जिस की सत्यापना अंकेक्षण के द्वारा स्थल पर रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 53 में कर दी गई। भविष्य में इस प्रकार की चूक व भूल को रोकने हेतु कारगर पग उठाए जाए।

क्रमांक संख्या	पंजीकरण की दिनांक	शादी की दिनांक	पंजीकरण दिनांक	पंजीकरण शुल्क	वसूल की गई राशी	शेष राशी
1	35/2016	01/11/16	16/11/16	25	0	25
2	36/2016	16/11/16	05/12/16	200	100	100
3	37/2016	30/11/16	09/12/16	200	50	150
4	38/2016	24/11/16	09/12/16	200	0	200
5	39/2016	23/11/16	09/12/16	200	0	200

कम वसूली गई राशि ₹675

9 ₹4.06 लाख के निर्माण कार्यों के संबंध में माप पुस्तिकाएँ प्रस्तुत न करना:

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भते) नियम, 2002 के नियम 101 के अनुसार विभिन्न निर्माण कार्यों के निष्पादन का ब्यौरा माप पुस्तिका मे निर्धारित रीति के अनुसार रखा जाना अपेक्षित है । अंकेक्षण के दौरान अवधि 01/04/2015 से 31/03/2018 में विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत निष्पादित निर्माण कार्यों की माप पुस्तिकाऐं प्रस्तुत नहीं की गईं जिसके कारण **परिशिष्ट "3"** की टिप्पणी-1 में दिये गए विवरणानुसार दर्शाये गये भुगतान ₹4,06,348 की विभिन्न राशियों की मद वार वास्तविक निष्पादित मात्रा व मूल्यांकित राशि से जांच सम्भव नहीं हो पाई और न ही विभिन्न में उपयोग किये गये सामान का विवरण अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया परिणामस्वरूप

निर्माण कार्यों वार क्रय/जारी सामान की मात्रा की वास्तव में उपयोग अथवा शेष मात्रा से तुलनात्मक जांच सुनिश्चित नहीं की जा सकी । अंकेक्षण अधियाचना संख्या :85 दिनांक 26-09-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट / अपना पक्ष रखने बारे कहा गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा पत्र क्रमांक 30 दिनांक 04-10-2018 के तहत उत्तर दिया कि "जिन माप पुस्तिकाओं को इस अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया जा सका, को आगामी अंकेक्षण के समय लेखा परीक्षा को प्रस्तुत कर दिया जाएगा।" अत: उपरोक्त के सम्बंध मे औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये।

10 **क्रय की गई ₹1.93 लाख की सामग्री का भण्डार रजिस्टरों में इन्द्राज न करना :-**

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 69 से 72 (1)(ए,बी,सी व डी) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार का स्थाई एवं अस्थाई प्रकृति के अनुरूप फार्म 25 ,26 ,27 व 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित था ।परन्तु पंचायत के अवधि 01.04.15 से 31.03.18 तक के चयनित मासों के दौरान की गई खरीद के वाउचरों की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट "3"** की टिप्पणी-2 में दिये गए विवरणानुसार ₹1,92,565 की सामग्री को क्रय उपरान्त भण्डार रजिस्टरों में दर्ज नहीं किया गया था और न ही नियम 72(2) की अनुपालना के समर्थन में कोई रिटर्न/संबन्धित रजिस्टर प्रस्तुत किया गया। इसके अतिरिक्त जांच में यह भी पाया गया कि कार्यालय व्यय से संबन्धित क्रय सामग्रियों को स्टॉक में नहीं लिया जाता है। मदों को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करने के कारण उनके उपयोग/खपत की जाँच नहीं हो सकी। इन मदों के दुर्विनियोजन से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। जिससे स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा तैयार व प्रस्तुत अभिलेख स्पष्ट व स्वत: अंतर्विष्ट नहीं था।

यह एक गम्भीर अनियमितता है । अंकेक्षण अधियाचना संख्या :85 दिनांक 26-09-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा पत्र क्रमांक 30 दिनांक 04-10-2018 के अन्तर्गत उत्तर दिया कि "कार्यालय व्यय से संबन्धित क्रय सामग्रियों को स्टॉक में दर्ज करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान लेखा परीक्षा को अवगत करवा दिया जाएगा।" अत: पंचायत/ विभागीय स्तर पर आवश्यक विस्तृत जांच उपरांत इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11 **औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹1.16 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:-**

अंकेक्षण में वाउचरों की जांच में पाया गया कि संस्था द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4), 67 (5), 69 एवं 70 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं

जारी करने की औपचारिकतायें (निविदायें, आपूर्ति आदेश,इंडेंट इत्यादि) प्रावधित है। **परिशिष्ट “3” की टिप्पणी-3** में दिये गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा **₹1,15,633** के स्टॉक/स्टोर का क्रय हि० प्र० पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4), 67 (5), 69 एवं 70 के प्रावधानों के अनुसार न करके एवं निविदा सम्बन्धी अन्य कागजी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया।

स्टोर/ स्टॉक का क्रय उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं निर्गम नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं निर्गम किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

11.1 निर्माण सामग्री के क्रय हेतु अनुमोदित दर से अधिक दर पर भुगतान के कारण ₹0.02 लाख का अधिक भुगतान

अंकेक्षण में पाया कि पंचायत द्वारा निर्माण सामग्री के क्रय हेतु शैटरिंग की दर ₹12 प्रति फीट अनुमोदित की गई थी, लेकिन निम्नविवरणानुसार पंचायत द्वारा चयनित मासों के व्यय से संबन्धित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि शैटरिंग का भुगतान ₹15 प्रति फीट की दर से किया गया था जो कि अनुमोदित दरों से अधिक दरों पर किया गया था जिसके परिणामस्वरुप ₹1950 का अधिक भुगतान किया गया जोकि आपत्तिजनक है। अंकेक्षण के द्वारा आपत्ति उठाने पर इस राशि को रसीद बुक संख्या: 126 की रसीद संख्या: 270655 दिनांक 25/9/2018 के द्वारा वसूल करके पंचायत निधि में जमा करवा दिया गया जिसकी सत्यापना अंकेक्षण के द्वारा स्थल पर ही कर दी गई। भविष्य में इस प्रकार की पुनःवृत्ति को रोकने हेतु आवश्यक कार्रवाई करनी सुनिश्चित की जाए। चयनित मास के अतिरिक्त अन्य मासों में अधिक दरों पर क्रय करने के कारण पंचायत को हुई हानि की गणना अपने स्तर पर करके उसकी वसूली उचित स्त्रौत से करना सुनिश्चित करें।

क्र०सं०	वाउचर संख्या/दिनांक	मात्रा क्यूबिक फीट	भुगतान दर (₹)	अनुमोदित दर (₹)	अधिक भुगतान (₹)
1	41/23-1-18	650	650x15=9750	650x12=7800	1950
			कुल राशि		₹1950

11.2 निर्माण सामग्री के क्रय हेतु ₹0.01 लाख का वैट के रूप में अनुचित भुगतान:

अंकेक्षण में पाया कि निम्न विवरणानुसार पंचायत द्वारा निर्माण सामग्री के क्रय हेतु VAT ₹1462 का भुगतान किया गया था जब कि आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दी गई कुटेशन्स जिन का अनुमोदन पंचायत द्वारा किया गया था में VAT का उल्लेख नहीं था जोकि आपत्तिजनक है। अंकेक्षण के द्वारा आपति उठाने पर इस राशि को वसूल करके रसीद संख्या 270653/126 दिनांक 25/09/2018 व 270654/126

दिनांक 25/09/2018 के द्वारा निधि में जमा करवा दिया गया जिस की सत्यापना अंकेक्षण के द्वारा स्थल पर रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 53 में कर दी गई। भविष्य में इस प्रकार की चूक व भूल को रोकने हेतु कारगर पग उठाए जाए।

वाउचर संख्या	**दिनांक**	**VAT की राशि**
17	18-7-16	643
33	9-1-18	819
कुल योग		₹1462

12 ₹0.52 लाख के बिल/वाउचर जांच हेतु उपलब्ध न करवाना : -

अंकेक्षण के दौरान **परिशिष्ट "3"** की टिप्पणी-4 में दिये गए विवरणानुसार ₹52,488 के बिल/वाउचर जांच हेतु उपलब्ध न करवाने के कारण उनके अन्तर्गत व्यय राशियों की पुष्टि नहीं हो सकी। अत: उपरोक्त के सम्बंध मे औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अपेक्षित अभिलेख जांच के दौरान समय का न्यूनतम उपयोग सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक क्रास रेफ्रेंसिंग सहित आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये।

13 बिल/ वाउचरों में आवश्यक विवरणों एवं विशिष्टताओं के अभाव में चार्ज दरों की उपयुक्तता का आकलन न हो पाना:-

अंकेक्षण के दौरान बिल/वाउचरों में क्रय/किराय पर ली गई सामग्री एवं सामान की ढुलाई इत्यादि हेतु चार्ज दरों की उपयुक्तता का आकलन दूरी, मात्रा, आकार, प्रकार, परिमाप, मेक/मॉडल इत्यादि विशिष्टताओं के अभाव में नहीं हो पाया। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :85 दिनांक 26-09-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसके सन्दर्भ में सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा पत्र क्रमांक 30 दिनांक 04-10-2018 के अन्तर्गत उत्तर दिया कि "ग्राम पंचायत द्वारा किए गए भुगतनों के समर्थन में प्राप्त बिल/वौचरों में चार्ज की गई दरों को न्यायसंगत ठहराने हेतु अंकेक्षण अधियाचना में वर्णित वशिष्टताओं को ध्यान में रखा जाएगा।" अत: अंकेक्षण अवधि से संबन्धित सभी बिल/वाउचरों के अन्तर्गत क्रय सभी सामग्रियों हेतु चार्ज दरों को आवश्यक विवरणों सहित हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 के प्रावधानों के मध्यनजर पूर्णत: न्यायसंगत ठहराया जाए अन्यथा विभागीय जांच उपरांत बिल /वाउचरों में आवश्यक विवरणों एवं विशिष्टताओं के अभाव में क्रय हेतु खर्च की गई राशियों की वसूली उचित स्त्रोत से करना सुनिश्चित किया जाए एवं भविष्य में भी क्रय करते समय बिल/वाउचरों में चार्ज दरों को पूर्ण न्यायसंगत ठहराने हेतु आवश्यक विशिष्टताओं का समर्थित अभिलेख में उल्लेख करना/करवाना सुनिश्चित किया जाए।

14 निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना/तकनीकी स्वीकृति बिना ही व्यय करना:

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था। निर्माण कार्यों से संबन्धित व्यय वाउचरों की तकनीकी स्वीकृति मांगे जाने पर संबन्धित तकनीकी सहायक ने बताया कि पंचायत द्वारा मनरेगा के अतिरिक्त अन्य शीर्षों के अंतर्गत करवाए गए निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार नहीं किए जाते हैं और न ही इनकी तकनीकी स्वीकृति ली जाती है। पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों पर व्यय प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना ही किया गया, जो कि नियमों के अनुकूल न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अतः निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए ।

15 बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करना:

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन उपरोक्त वर्णित नियम के अनुसार तैयार करने के स्थान पर मात्र पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर पारित करवा लिया गया है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :80 दिनांक 20-09-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने बारे कहा गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा पत्र क्रमांक 30 दिनांक 04-10-2018 के अन्तर्गत उत्तर दिया कि "हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम, 2002 के नियम 37 प्रारूप-11 पर बजट तैयार कर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान लेखा परीक्षा को अवगत करवा दिया जाएगा।" अतः बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

16 हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम, 2002 के अनुसार भुगतान आदेश संबंधी नियम 49(1)(2) के प्रावधानों का अनुपालन न करने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 49(1 तथा 2) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत द्वारा कोई भी भुगतान तब तक नही किया जाएगा जब तक कि सम्बन्धित बिल/वाउचर पर पंचायत प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से भुगतान आदेश नियमानुसार पारित न किया गया हो लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि इन नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है। अधिकांश बिलों/ वाउचरों की अदायगियाँ बिना

भुगतान आदेशों के ही की गईं थीं। जोकि उक्त नियम प्रावधानों की सरासर अवहेलना है।

उक्त नियम प्रावधानों कि अनुपालना न करने के कारण किसी भी स्तर पर किसी चूक अथवा गड़बड़ी की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अत: हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम, 2002 के अनुसार भुगतान आदेश संबंधी नियम 49(1)(2) के प्रावधानों का अनुपालन न करने के पीछे मंशा एवं वास्तविकता से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :80 दिनांक 20-09-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने बारे कहा गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा पत्र क्रमांक 30 दिनांक 04-10-2018 के अन्तर्गत उत्तर दिया कि "नियमानुसार प्रत्येक बिल/वाउचर पर प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर कर pass order लगाकर लेखा परीक्षा को आगामी अंकेक्षण के समय अवगत करवा दिया जाएगा।" अत: अंकेक्षण अवधि के दौरान नियमानुसार अदायगी आदेश रिकार्ड किए बिना किए गए सभी संदायों/भुगतानों हेतु सभी बिल/वाउचरों पर नियमानुसार संयुक्त रूप में भुगतान आदेश रिकार्ड किये जाएँ एवं अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाई जाए तथा भविष्य में भी नियमानुसार अदायगी आदेश रिकार्ड करने के उपरांत ही कोई भी संदाय/भुगतान करना सुनिश्चित किया जाए।

17 सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये अनुदान के आदेश की प्रति/पत्र जाँच हेतु उपलब्ध न करवाना:-

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किये गये अनुदानों के पत्रों की प्रति अंकेक्षण में जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गयी जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि पंचायत द्वारा प्राप्त किये गये अनुदान किस उदेश्य/कार्य विशेष के लिए प्राप्त किये गये हैं। चर्चा में बताया गया कि पंचायत में अनुदान के आदेश पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरान्त मौखिक रूप में अनुदान के प्रायोजन बारे सूचित किया जाता है जो कि अनुचित है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रायोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता । अंकेक्षण अधियाचना संख्या :85 दिनांक 26-09-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट / अपना पक्ष रखने बारे कहा गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा पत्र क्रमांक 30 दिनांक 04-10-2018 के तहत उत्तर दिया कि "पंचायत को प्राप्त अनुदान पत्रों आदेशों को रजिस्टर पर प्रविष्ट कर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के समय लेखा परीक्षा को अवगत करवा दिया जाएगा।" इस प्रकरण को विशेष रूप से उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है ।

18 बिल रजिस्टर को तैयार न करना:

पंचायत द्वारा हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 48 के अनुसार बिलों के लिए सभी दावे प्ररूप 13 में बनाये

जाने बाले रजिस्टर में प्रथमत: प्रविष्टि नहीं किये जा रहे हैं, जिससे बिल विशेष की प्राप्ति उपरांत पंचायत द्वारा उस पर कब क्या कार्यवाही की गई, का पता नहीं चलता है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :85 दिनांक 26-09-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट / अपना पक्ष रखने बारे कहा गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा पत्र क्रमांक 30 दिनांक 04-10-2018 के तहत उत्तर दिया कि "नियमानुसार प्रत्येक बिल प्ररूप 13 में बनाये जाने बाले बिल रजिस्टर में प्रविष्टि करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान लेखा परीक्षा को अवगत करवा दिया जाएगा।" अत: तुरंत प्रभाव से किसी भी प्राप्त बिल पर आगामी कार्यवाही करने से पूर्व उसकी प्रविष्टि प्रथमत: प्रारूप 13 में तैयार बिल रजिस्टर में की जानी सुनिश्चित की जाये।

18(1) उपस्थिति नामावली (मस्टररोल) संबंधी नियम प्रावधानों की पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित न करने बारे:

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम, 2002 के मस्ट्रोल संबंधी नियम 102 के प्रावधानों की पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित नहीं की जा रही है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :85 दिनांक 26-09-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट / अपना पक्ष रखने बारे कहा गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा पत्र क्रमांक 30 दिनांक 04-10-2018 के तहत उत्तर दिया कि "हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम, 2002 के मस्ट्रोल संबंधी नियम 102 के प्रावधानों की पूर्ण अनुपालना करके लेखा परीक्षा को आगामी अंकेक्षण के समय अवगत करवा दिया जाएगा।" अत: उक्त आश्वासनानुसार उपस्तिथि नामावली (मस्टररोल) संबंधी नियम प्रावधानों की पूर्ण अनुपालना तुरंत प्रभाव से सुनिश्चित की जाए।

19 माप पुस्तिकाओं का रख-रखाव व सत्यापन नियमानुसार न करना :-

निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम प्रावधानों के अनुसार समय-2 पर निर्धारित मानकों अनुसार परीक्षण जांच संचालित करने एवं सकर्मों के निरीक्षण और परीक्षण जांच की अवस्था का प्रावधान है, ग्राम पंचायत में निर्माण कार्यों हेतु प्रयुक्त मापन पुस्तिकाओं का रख-रखाव एवं सत्यापन नियमानुसार नहीं किया जा रहा है यद्यपि ये तकनीकी सहायकों द्वारा लिखी गईं परन्तु मापन पुस्तिका में हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम, 2002 के नियम 101 ,103(2),104(2)(i) व 105 की अनुपालना में किसी भी

अधिकारी द्वारा प्रविष्टियों का सत्यापन नहीं किया गया, न ही test check संचालित किये गये और न ही निर्माण कार्यों के निरीक्षण की अवस्था के समर्थन में कोई अभिलेख उपलब्ध करवाया गया। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :85 दिनांक 26-09-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट / अपना पक्ष रखने बारे कहा गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा पत्र क्रमांक 30 दिनांक 04-10-2018 के तहत उत्तर दिया कि" माप पुस्तिकाओं का रख-रखाव व सत्यापन अध्याय 11 के अनुसार करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान लेखा परीक्षा को अवगत करवा दिया जाएगा। अत: उक्त नियमों की अनुपालना के अभाव में मुल्यांकन तथा भुगतानों का औचित्य स्पष्ट करते हुए उक्त नियमों की अनुपालना हेतु आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाए।

20 मैंटिनेंस ऑफ अकाउंटस

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 6 के अनुसार पंचायत सचिव का यह सुनिश्चित करने का दायित्व होगा कि सभी व्यक्ति जो ग्राम पंचायत की ओर से धन प्राप्त करते हैं, ऐसी रीति से उचित लेखे बनाएँ और दें कि ब्यौरे साफ, स्पष्ट और स्वत: अंतर्विष्ट हों। अंकेक्षण प्रतिवेदन में वर्णित आपतियों के मध्यनजर लेखे तथा समर्थित अभिलेख और सही ढंग से रखे जाने अपेक्षित हैं। प्रस्तुत अभिलेखों की स्थिति से वर्तमान पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या :85 दिनांक 26-09-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट / अपना पक्ष रखने बारे कहा गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा पत्र क्रमांक 30 दिनांक 04-10-2018 के अन्तर्गत उत्तर दिया कि "हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 6 की अनुपालना कर आगामी अंकेक्षण के समय लेखा परीक्षा को अवगत करवा दिया जाएगा।" अत: भविष्य में हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 6(4) में दी गई प्रक्रिया का अनुसरण करना सुनिश्चित किया जाए।

21 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना:

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31, 72 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 34 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपतिजनक है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :85 दिनांक 26-09-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट / अपना पक्ष रखने बारे कहा गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा पत्र क्रमांक 30 दिनांक 04-10-2018 के अन्तर्गत उत्तर दिया कि "उक्त नियम प्रावधानों अनुसार रजिस्टरों को तैयार कर अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवा दिया

जाएगा।" अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0 रजिस्टर का प्रकार/विवरण प्ररूप सन्दर्भित नियम

1 रसीद बहियों का स्टाक रजिस्टर 4 13 (5)

2 विकास सकर्मों के निष्पादन का रजिस्टर 7 34
हि० प्र० पंचायती राज(सामान्य) नियम, 1997

3 अनुदान रजिस्टर हि० प्र० पंचायती राज
(सामान्य) नियम, 1997 8 34

4 बिजली, पानी, टेलीफोन व डाक व्यय बिल रजिस्टर

5 प्रकीर्ण माँग व संग्रहण रजिस्टर 10 33 , 77
(4)

6 बजट प्राक्कलन 11 , 12
37, 38

7 अनुपभोज्य मदों का स्टाक रजिस्टर 25 72 (1)

8 लेखन सामग्री से भिन्न उपभोज्य मदों
का स्टाक रजिस्टर 26 72 (1) ख

9 मुद्रित सामग्री का स्टाक रजिस्टर 27 72 (1)
(ग)

10 तकनीकी जाँच पड़तालों और तकनीकी मंजूरी
आकलन का रजिस्टर 31 95 (1)

11 लिवरी आर्टिकल्स का जांच पड़ताल रजिस्टर।

12 गृहकर रजिस्टर का उचित रख-रखाव न करना।

13. मस्ट्रोल स्टॉक/ निर्गम रजिस्टर का
उचित रख-रखाव न करना।
102

14 माप पुस्तिकाओं का अनुरक्षण रजिस्टर
101(2)(v)

15 वर्गीकृत सार 8 29 (4)

22 प्रत्यक्ष-सत्यापन

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है। जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में बिद्यमानता/ उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्तिथि का पता नहीं लगाया जा सकता। समय-समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की

संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। यह भी एक गंभीर अनियमितता है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :85 दिनांक 26-09-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा पत्र क्रमांक 30 दिनांक 04-10-2018 के अन्तर्गत उत्तर दिया कि "पंचायत द्वारा स्टोर/स्टॉक संबंधी अभिलेख व स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन नियमानुसार कर अनुपालना से लेखा परीक्षा को आगामी अंकेक्षण के समय अवगत करवा दिया जाएगा।" अत: इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

23 **लघु आपति विवरणिका:–** संस्था को लघु आपति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई अपितु लघु आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

24 **निष्कर्ष:-** संस्था के लेखाओं के रख-रखाव में और सुधार एवं कड़ी निगरानी /अनुश्रवण (मोनिट्रिंग) की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(राम सिंह चौहान)
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620046

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(6)73/2018 खण्ड–1–8211–8214 दिनांक 15.12.18 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत
1. सचिव, ग्राम पंचायत भलवानी, विकास खण्ड भोरन्ज, तहसील भोरन्ज, जिला हमीरपुर हि0प्र0 पिन–177118 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भोरन्ज, जिला हमीरपुर हि0प्र0।

हस्ता/–
(राम सिंह चौहान)
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620046